भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *19

04.12.2023 को उत्तर के लिए

झीलों का पुनरूद्धार

***19. श्री पी.सी.मोहन :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेंगलुरू में झीलों की कुल संख्या कितनी है, उनकी वर्तमान स्थिति और पारिस्थितिकीय स्थिति कैसी है और सरकार द्वारा संरक्षण अथवा पुनरूद्धार के लिए क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा बेंगलुरू में झीलों के संबंध में प्रदूषण, अतिक्रमण और जैव विविधता की हानि जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) बेंगलुरू में झीलों के पुनरूद्धार और परिरक्षण के उद्देश्य से आरम्भ की गई विशिष्ट पहलों या परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'झीलों का पुनरूद्धार' के संबंध में श्री पीसी मोहन द्वारा सोमवार दिनांक 4 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *19 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के नियंत्रण में कुल 204 झीलें हैं, जिनमें से 114 झीलें विकसित हैं और 38 झीलों को विकास के लिए अभिज्ञात किया गया है। इसके अलावा, 33 झीलें अविकसित हैं और 19 झीलें उपयोग में नहीं हैं। झीलों के वार्षिक अनुरक्षण के साथ-साथ, अतिक्रमण से बचने, झील क्षेत्र के भीतर कचरा और भवन निर्माण अपशिष्ट के डंपिंग को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। कुछ झीलों पर मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं और उपचारित पानी को झीलों में निस्सरित किया जाता है। झीलों में मलजल के प्रवेश को रोकने के लिए अधिकांश विकसित झीलों में मलजल विपथन नालियों का निर्माण किया गया है। मुख्य जल निकाय में गाद के प्रवेश को रोकने के लिए अवसादन तालाबों का निर्माण किया गया है। कुछ झीलों की जैव विविधता बढ़ाने के लिए उनमें कृत्रिम द्वीप और हरे-भरे मार्ग बनाए गए हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने देश भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचे के रूप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रतिबंधित किए बिना उनके पारिस्थितिक स्वरूप का संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव करना है। उक्त नियम अन्य बातों के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट डंपिंग, उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अनुपचारित कचरे और अपशिष्टों के बहि:स्राव जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर, कर्नाटक सहित देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) नाम से एक केंद्रीय-प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है जैसे-अपशिष्ट जल का अवरोधन, विपथन और शोधन, तटरेखा संरक्षण, झील तटाग्र का विकास, स्व-स्थाने सफाई अर्थात् गाद निकालना और खरपतवार हटाना, तूफान के कारण आए जल का प्रबंधन, जैविक उपचार, जलग्रहण क्षेत्र शोधन, झील सौंदर्यीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव -बाड़ लगाना, मत्स्य पालन विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी, आदि।

कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, इस मंत्रालय ने वर्ष 2002-2010 के दौरान बेंगलूरु में आठ आर्द्रभूमियों, नामत: वेंगैयाहकेरे, नागवारा, जारगनहल्ली, लाल बाग, बेलंदूर, गौरम्मा, होम्बाल्लमा और मगधी के संरक्षण के लिए 24.27 करोड़ रूपए की कुल लागत पर परियोजनाओं को मंजूरी दी थी और इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कर्नाटक सरकार को 13.794 करोड़ रूपए का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया था। ये सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

इसके अलावा, कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, नव नगरोत्थान 2018-19 के तहत 47 झीलों, सुभ्रा बेंगलुरु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) अनुदान के तहत 5 झीलों, 15 वां वित्त अनुदान के तहत 08 झीलों और अमृत नगरोत्थान 2022-23 के तहत 71 झीलों को लगभग 590 करोड़ रूपए के संचयी अनुदान/निधि के साथ विकसित/विकास के लिए अभिज्ञात किया गया है ।

****